



टी बोर्ड भारत

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,

कोलकाता-700001

दिनांक 21.01.2025

कार्यालय आदेश सं 03/2025

कार्यालय आदेश संख्या 01/2023 दिनांक 03.01.2023 के आंशिक संशोधन में, अधोहस्ताक्षरी को यह बताने का निदेश हुआ है कि टी बोर्ड उप-नियम 1955 के उप-नियम 45 और 46 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्ति के तहत, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बोर्ड के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी की दैनिक गतिविधियों के रखरखाव के लिए डॉ अनिर्बान बसु मजूमदार, अनुसंधान अधिकारी, क्यूसीएल, सिलीगुड़ी के पक्ष में निम्नलिखित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को इस शर्त के अधीन सौंप दिया है कि वह उक्त कार्यालय का अग्रिम लेखा बनाए रखेंगे और चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम, 1954, टी बोर्ड उप-नियम, 1955 और कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णयों के प्रावधानों का भी पालन करेंगे।

1	प्रति अवसर किसी एक मद पर 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) तक के व्यय की स्वीकृति (विकास कार्य के अलावा)
2	प्रत्येक मामले में किसी भी राशि के चेक पर हस्ताक्षर करें (विकास कार्य के अलावा) जहां बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से मंजूरी दी गई हो। ऐसे मामले में, भुगतान वाउचर के साथ मुख्यालय के स्वीकृति पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
3	अधिकतम रु.10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की अग्रिम राशि रखें, जिसमें एक बार की व्यय सीमा रु.1000/- (विकास कार्यों के अलावा) हो।
4	जब भी आवश्यकता हो, किराया, कर, नगरपालिका, जल शुल्क, बिजली/टेलीफोन बिल आदि के भुगतान के लिए सटीक राशि की सीमा तक विद्युत निधि अंतरण के लिए बैंक को चेक या अनुदेश पर हस्ताक्षर करना।
5	क्यूसीएल, सिलीगुड़ी के संबंध में बैंक लेखाओं का संचालन करना
6	बोर्ड के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी से सम्बद्ध सभी अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के संबंध में छुट्टियां (विशेष छुट्टी को छोड़कर) स्वीकृत करना, जिसमें स्वयं को छोड़कर सभी संविदा कर्मचारी भी शामिल हैं।
7	स्वयं को छोड़कर बोर्ड के क्यूसीएल, सिलीगुड़ी से जुड़े सभी संविदा कर्मचारियों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पक्ष में टीए/एलटीसी अग्रिम स्वीकृत करना।
8	स्वयं को छोड़कर बोर्ड की क्यूसीएल, सिलीगुड़ी से जुड़े सभी संविदा कर्मचारियों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के दौरा कार्यक्रम को अनुमोदित/अनुशंसित करना।

तथापि, क्यूसीएल, सिलीगुड़ी के अनुसंधान अधिकारी डॉ. अनिर्बान बसु मजूमदार को वित्तीय अनुशासन और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के मानदंडों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि धन का अपव्यय न किया जाए।

इसके अलावा, डॉ. अनिर्बान बसु मजूमदार, अनुसंधान अधिकारी, क्यूसीएल, सिलीगुड़ी अगले आदेश तक दैनिक कार्यालय कार्यों के लिए सचिव, टी बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे।

यह आदेश 01.02.2025 (एफएन) से लागू होगा।

(डॉ. ऋषिकेश राय)

सचिव (प्र)

वितरण:-

1.	डॉ. अनिर्बान बसु मजूमदार, अनुसंधान अधिकारी, क्यूसीएल, टी बोर्ड, सिलीगुड़ी	
2	उ.नि.चा.वि., सिलीगुड़ी	
3	निदेशक चाय विकास	
4	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
5	लेखा अधिकारी (प्र) [जेएजी/टीसी]	
6	उपाध्यक्ष/वि.स. एवं मु.ले.अ./सचिव के नि.सह	
7	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8.	टीबीइए	
9.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित